

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय | MADHEPURA
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष, व्यवस्थापक प्रबंधक
KRISHNA BOARDING SCHOOL
Karuna Nagar

विवरण: वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनिबन्ध के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपसे आदेशन पत्र दिनांक 31-08-2024 और उसके क्रम में प्रेषित किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक 23-11-2024 से किये गए निर्णय के आलाोक में आपके विद्यालय KRISHNA BOARDING SCHOOL, Karuna Nagar, Alamnagar, 852219 को कक्षा 1 से 6 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 23-11-2024 से 23-11-2027 अवधि के लिए निम्नलिखित प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न शर्तों का अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 6 तक की सीमा के अगहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपना वचन पत्र वच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत वच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी रामूड़ के तन्त्रों का करेगा तथा उच्च गुणवत्ता एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता को सुनिश्चित करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षाओं में उद्भूत वच्चों के मामले में विद्यालय को तत्काल मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से वकालत का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन वीचन नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी वच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय प्रवेश वच्चे के नामांकन से उसको उच्च प्रमाण के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:

(i) किसी भी नामांकित वच्चे का किसी भी कारण से रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित वच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकाला जाएगा।

(ii) किसी भी वच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी वच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक वच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में वच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की धारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगा।

(viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधियां संलग्न नहीं होंगे।

Navin Nischel

PRINCIPAL
KRISHNA BOARDING SCHOOL
Karuna Nagar, Madhepura

MANAGER
KRISHNA BOARDING SCHOOL

